मुकुल गोयल,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0 - 9 /2022

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010
दिनांकः अप्रैल 30, 2022

विषयः- क्रिमिनल मिस बेल एप्लीकेशन संख्या-19839/2021 साहिल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित-20.05.2021 के अनुपालन में मा0 उच्च न्यायालय में योजित होने वाले जमानत प्रार्थना पत्रों पर निर्धारित समय-सीमा के अन्दर Instructions उपलब्ध कराये जाने के संबंध में निर्गत दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने के संबंध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

मा0 उच्च न्यायालय में योजित होने वाले जमानत प्रार्थना पत्रों पर निर्धारित समय-सीमा के अन्दर Instructions उपलब्ध कराये जाने संबंधी दिशा-निर्देश पार्श्वांकित शासनादेशों एवं डी0जी0 परिपत्रों के माध्यम से निर्गत किये गये है। क्रिमिनल मिस बेल एप्लीकेशन संख्या-19839/2021 साहिल वनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित-20.05.2021 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना पत्रों में समय से Instructions उपलब्ध कराये जाने के सम्वन्ध में विस्तृत निर्देश देते हुये Timeline नियत की गयी थी जिसके अनुपालन हेतु डीजी परिपत्र संख्या-24/2021 के माध्यम से निर्देश निर्गत किये गये थे तथा निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा हेतु जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त की अध्यक्षता में जोन तथा कमिश्नरेट स्तर पर समिति का गठन किया गया था किन्तु जनपद स्तर पर इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है।

डीजी परिपत्र सं0 -24/2021 दि0-26.07.2021
अर्द्ध शा0 पत्र सं0 - डीजी-दस-वि0प्र0-मिस-168/2021 दि0-26.07.2021
डीजी परिपत्र सं0 -10/2021 दि0-03.03.2021
डीजी परिपत्र सं0 -37/2020 दि0-22.10.2020
डीजी परिपत्र सं0 -51/2019 दि0-05.12.2019
शासनादेश सं0-206/छः-पु0-9-19-31(2)/2019 दि0- 05.02.2019
डीजी परिपत्र सं0 -24/2018 दि0-24.05.2018
डीजी परिपत्र सं0 -11/2017 दि0-22.05.2017

क्रिमिनल मिस बेल एप्लीकेशन संख्या- 15495/2022 मोहसिन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा अन्य जमानत प्रार्थना पत्रों में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 13.04.2022 में जमानत प्रार्थना पत्रों पर समय से Instructions न उपलब्ध कराये जाने को लेकर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये निम्नवत टिप्पणी की गयी है-

> "Liberty of citizens is too sacrosanct and cannot be held to ransom by apathy of the police officials. There is no good cause for the failure of the police authorities to provide instructions to the learned G.A despite advance notice of the bail application."

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न जनपदों के अनेक जमानत प्रार्थना पत्रों पर समय से Instructions उपलब्ध न कराये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये अधोहस्ताक्षरी को व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने हेतु निर्देशित किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्रों पर समय से Instructions न उपलब्ध कराये जाने के कारण शासकीय अधिवक्ताओं द्वारा जमानत का प्रभावी विरोध नहीं हो पाता, जिसका लाभ अन्ततः अभियुक्त पक्ष को ही मिलता है। Instructions समय से उपलब्ध न होने के कारण मा0 न्यायालय का बहुमूल्य समय भी बर्बाद होता है।

.....2

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय में योजित होने वाले जमानत प्रार्थना पत्रों पर निर्धारित समय-सीमा के अन्दर Instructions उपलब्ध कराये जाने संबंधी पूर्व निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक तथा समस्त कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से निर्देशों के अनुपालन हेतु गठित समिति की बैठक कर निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही संस्थित की गयी है।

प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशों के अनुपालन से संबंधित है, अतः समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन तथा पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट का व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण अपेक्षित है।

भवदीय,

(मुकुल गोयल)

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ।
3. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ।
4. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/वाराणसी/कानपुर नगर/गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0 ।
5. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र, उ0प्र0 ।
6. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद, उ0प्र0।